समक्ष जे. एम. टंडन, जे.

नाथ एंड संस-याचिकाकर्ता।

बनाम

सहायक अभिरक्षक सामान्य हरियाणा एवं अन्य,-प्रतिवादी।

1975 की सिविल रिट याचिका संख्या 1820।

27 अक्टूबर 1983.

निष्क्रांत संपत्ति अधिनियम (XXXI, 1950) का प्रशासन - धारा 16 - निष्क्रांत व्यक्ति को अपनी संपत्तियों के संबंध में धारा 16(1) के तहत केंद्र सरकार से प्रमाण पत्र प्राप्त करना - निष्क्रांत व्यक्ति द्वारा बाद में बेची गई कुछ संपत्तियां - वेंडी - क्या उसके पास कोई अधिकार है उसे बेची गई संपत्तियों की बहाली के लिए धारा 16(2) के तहत कदम उठाएं।

माना गया कि एक निष्क्रमित व्यक्ति या निष्क्रमित व्यक्ति का उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाला व्यक्ति निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम की धारा 16(1) के तहत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। जहां निष्क्रमित व्यक्ति ने धारा 16(1) के तहत अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त किया और बाद में कुछ संपत्तियां बेच दीं, वहां प्रतिवादी को निष्क्रमित व्यक्ति का उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता है। प्रमाणपत्र के लिए धारा 16(1) के तहत आवेदन या तो किसी विस्थापित व्यक्ति द्वारा या विस्थापित व्यक्ति के उत्तराधिकारी द्वारा किया जा सकता है। एक व्यक्ति जिसने धारा 16(1) के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, वह संपत्ति की बहाली के लिए धारा 16(2) के तहत आवेदन दायर करने में सक्षम है। दूसरे शब्दों में, यदि विक्रेता धारा 16(1) के तहत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दायर नहीं कर सका, तो यह समझा जाता है कि उसके पास उस क्षमता में धारा 16(2) के तहत आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि विक्रेता को किसी भी तरह से विक्रेता का उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता है। 'उत्तराधिकारी* शब्द का अर्थ वह है जो वास्तव में अपने पिछले धारक की मृत्यु पर संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। निष्क्रमित व्यक्ति की कुछ संपत्तियों का प्रतिशोधी उसका उत्तराधिकारी हो सकता है, लेकिन यह मानना मुश्किल है कि अधिनियम की धारा 16 के प्रयोजन के लिए उसे उत्तराधिकारी के रूप में माना जा सकता है।

(पैरा 7 और 8)

याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत प्रार्थना कर रहा है

वह : -

(ए) विवादित आदेशों को रद्द करते हुए सर्टिओरीरी की एक रिट जारी की जा सकती है (अनुलग्नक पी/10 और पी/ll);

(बी) परमादेश की एक रिट जारी की जाए, जिसमें उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 को निर्देश दिया जाए कि वे बिक्री कार्यों में उल्लिखित संपत्तियों को पुराने प्रावधानों के तहत बहाली का एक औपचारिक आदेश पारित करने के बाद याचिकाकर्ता को सौंप दें, जो अस्तित्व में थे। प्रमाणपत्र प्रदान करने का समय;

(सी) उत्तरदाताओं को मामले के सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड इस माननीय न्यायालय को सौंपने का निर्देश दें;

(डी) अनुबंध पी/एल से पी/एल की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने की छूट दी जाएगी;

(ई) रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, विवादित आदेशों (अनुलग्नक पी/10 और पी/ll) के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी जाएगी और यथास्थिति जारी रखने का आदेश दिया जा सकता है;

और

(एफ) याचिका की लागत की अनुमति दी जा सकती है। तारीख़ 27 अक्टूबर, 1983.

याचिकाकर्ता के लिए एन.सी. जैन, अधिवक्ता और एस.एस. जैन, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से गोपी चंद, वकील।

प्रतिवादी की ओर से डी.एस. नेहरा, अधिवक्ता और अरुण नेहरा, अधिवक्ता

नंबर 3।

ए.के.जायसवाल, अधिवक्ता, डी.एस.नेहरा, अधिवक्ता और अरुण नेहरा,

उत्तरदाताओं के लिए वकील।

निर्णय

जे. एम. टंडन, जे.

1. नवाब ऐजाज़ अली खान (अब दिवंगत) के पास करनाल में काफी अचल संपत्ति जैसे घर, दुकानें, खाली जगहें और कृषि भूमि आदि थीं, जिन्हें स्वचालित निहित प्रावधानों के तहत खाली माना गया था और कस्टोडियन संगठन द्वारा प्रशासित किया गया था, 1953 में नवाब निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम (इसके बाद अधिनियम) की धारा 15(1) के तहत एक प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करें जिसमें आरोप लगाया गया हो कि वह पाकिस्तान में

स्थानांतरित नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 16(1) के तहत प्रमाणपत्र संख्या 2 (28)-रेस्ट/56(पी)-राज/1524, दिनांक 11 सितंबर, 1956 जारी किया, क्योंकि यह 22 अक्टूबर के संशोधन से पहले मौजूद था। , 1956. इस प्रमाणपत्र में लिखा है:

"जबकि स्वर्गीय नवाब मोहम्मद उमरदराज़ के पुत्र श्री मोहम्मद ऐजाज़ अली खान ने अपनी संपत्ति की बहाली के लिए केंद्र सरकार को एक आवेदन दिया है जो कस्टोडियन में निहित थी;

और जबकि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि आवेदक को उक्त संपत्ति की बहाली के लिए प्रमाण पत्र देना उचित और उचित है:

इसलिए, अब, निष्क्रमण संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का XXXI) की धारा 16 की उप-धारा (1) और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार आवेदक को यह प्रमाण पत्र प्रदान करती है। इस आशय से कि कोई भी निष्क्रांत संपत्ति जो कस्टोडियन में निहित है और जिसका आवेदक हकदार होता, यदि उक्त अधिनियम लागू नहीं होता, तो उसे इस शर्त के अधीन वापस कर दिया जाएगा कि:--

वह किसी भी आवंटी/किरायेदार को बेदखल नहीं करेगा, सिवाय उन परिस्थितियों के जिनमें पट्टेदार को किसी भी समय लागू कानून के तहत बेदखल किया जा सकता है।

कृषि भूमि के संबंध में, यदि भूमि विस्थापित व्यक्ति के कब्जे में है, तो उसे उसके बदले में या तो वैकल्पिक भूमि या मुआवजा, या दोनों दिया जा सकता है।"

2. 15 अक्टूबर, 1958 को नवाब ने सहायक को एक आवेदन प्रस्तुत किया। करनाल में 48 संपत्तियों की बहाली के लिए संरक्षक, जिसे 8 मई, 1957 के आदेश के तहत उप संरक्षक द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी, (पृ. 1)। मेसर्स का मामला. गोपी नाथ एंड संस (याचिकाकर्ता) का कहना है कि 13 नवंबर, 1957 को उसने नवाब से कुछ संपत्तियां रुपये में खरीदी थीं। 1,17,000/और 11 मार्च 1959 को रु. 800/-. याचिकाकर्ता द्वारा खरीदी गई संपत्तियों को कस्टोडियन अधिकारियों द्वारा 'नवाब' को वापस नहीं किया गया था जब वे खरीदी गई थीं। नवाब ने कुछ अन्य की बहाली का दावा करते हुए 10 अक्टूबर, 1957 (पृ. 4) और 27 मार्च, 1959, (पृ. 3) दिनांकित दो आवेदन प्रस्तुत किए। अधिनियम की धारा 16(1) के तहत उसे पहले ही जारी किए गए प्रमाणपत्र के अनुसरण में संपत्तियों का विवरण दिया गया है । संपत्तियों की बहाली के लिए नवाब का दावा अभी भी कस्टोडियन अधिकारियों के पास विचाराधीन था, जब 4 मार्च, 1963 को उनकी मृत्यु हो गई। 3 सितंबर, 1963 को, सहायक कस्टोडियन ने आदेश पी. 5 पारित किया, जिसके खिलाफ करनाल सहकारी परिवहन सोसायटी लिमिटेड . कर्नाट ने अधिनियम की धारा 27 के तहत एक पुनरीक्षण दायर किया, जिसे 9 अप्रैल, 1965 के आदेश (पृ. 8) द्वारा उप संरक्षक जनरल के रूप में स्वीकार कर लिया गया। सहायक संरक्षक के आदेश को रद्द कर दिया गया और मामले को अधिनियम की धारा 16(2) के तहत नए निर्णय के लिए भेज दिया गया। याचिकाकर्ता ने 1965 के सीडब्ल्यूपी संख्या 1718 में डिप्टी कस्टोडियन जनरल (पी. 8) के आदेश की आलोचना की, जिसे 23 दिसंबर, 1966 को खारिज कर दिया गया। 1965 के सीडब्ल्यूपी संख्या 1718 में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पत्र पेटेंट अपील , 21 मार्च 1967 को बर्खास्त कर दिया गया।

3. मामला डिप्टी कस्टोडियन जनरल के आदेश के अनुसरण में सहायक कस्टोडियन के समक्ष निर्णय के लिए आया (पृ. 8)। निर्णय के लिए सहायक संरक्षक के समक्ष एक मुद्दा यह था:

क्या मेसर्स गोपी नाथ एंड संस के पास श्री ऐजाज़ अली खान द्वारा दिए गए आवेदन को आगे बढ़ाने का आवश्यक अधिकार है?

सहायक संरक्षक ने दिनांक 10 अक्टूबर, 1968 के आदेश (पी. 10) के माध्यम से माना कि याचिकाकर्ता के पास कोई अधिकार नहीं था। यह माना गया कि कस्टोडियन अधिकारियों के समक्ष लंबित कार्यवाही 'नवाब' की मृत्यु के कारण समाप्त हो गई थी। याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण में सहायक कस्टोडियन पी.10 के आदेश पर आपत्ति जताई, जिसे सहायक कस्टोडियन जनरल ने 20 दिसंबर, 1974 के आदेश (पी. 11) के जरिए खारिज कर दिया था। यह माना गया कि अपने पक्ष में बिक्री के आधार पर नवाब के उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाला याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 16(2) के संदर्भ में संपत्तियों की बहाली का दावा नहीं कर सकता है। सहायक कस्टोडियन जनरल के आदेश का ऑपरेटिव भाग (पी. 11) पढ़ता है:

"मेरा वर्तमान आदेश केवल मामले को सहायक कस्टोडियन को यह निर्धारित करने के लिए भेजने की प्रकृति में है कि श्री वाईएल तनेजा के आदेश द्वारा बहाल की गई 12 संपत्तियों के अलावा कौन सी संपत्तियों को नवाब या उनके उत्तराधिकारियों को बहाल किया जाना है। सहायक कस्टोडियन स्वाभाविक रूप से ऐसा करेगा संपत्तियों को नवाब या उसके उत्तराधिकारियों को बहाल करें। इस मामले में याचिकाकर्ताओं को संपत्तियों पर अधिकार का दावा करने के लिए सिविल कोर्ट से एक डिक्री प्राप्त करनी होगी, जिसे सहायक संरक्षक द्वारा नवाब के उत्तराधिकारियों को बहाल किया जा सकता है।

....
....."

4. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट में पी. 10 और पी.11 पर हमला किया है।

5. इस रिट में विचार करने के लिए संक्षिप्त बिंदु यह है कि क्या याचिकाकर्ता के पास इस आधार पर नवाब की संपत्तियों की बहाली के लिए अधिनियम की धारा 16(2) के तहत एक आवेदन दायर करने का अधिकार है। बाद वाले ने धारा 16(1) के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद इसे उसे बेच दिया था।

6. 22 अक्टूबर 1956 को इसके संशोधन से पहले की धारा 16 का प्रासंगिक भाग। पढ़ता है:

"(1) ऐसे नियमों के अधीन, जो इस संबंध में बनाए जा सकते हैं, केंद्र सरकार या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, किसी विस्थापित या दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उसे आवेदन किए जाने पर किसी निष्क्रमित व्यक्ति का उत्तराधिकारी, और इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक को एक प्रमाण पत्र देना उचित या उचित है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी निष्क्रांत संपत्ति, जो कस्टोडियन में निहित है और जिसके लिए आवेदक हकदार होता, यदि यह अधिनियम होता जो लागू नहीं है, उसे वापस कर दिया जाएगा।

(1-ए)..... .....
.....

(2) यदि निष्क्रमित व्यक्ति, या जैसा भी मामला हो, वह व्यक्ति जिसे उप-धारा (1) के तहत प्रमाण पत्र दिया गया है, अभिरक्षक में निहित निष्क्रान्त संपत्ति की बहाली के लिए अभिरक्षक को लिखित रूप में आवेदन करता है, और जिसके संबंध में प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, संरक्षक, आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर और इस धारा में निहित अन्य प्रावधानों और इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, निष्क्रांत संपत्ति को बहाल करेगा आवेदक।

(2-ए)..... .....
..... "

7. विवाद. याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि एक विस्थापित व्यक्ति या एक विस्थापित व्यक्ति का उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाला व्यक्ति धारा 16(1) के तहत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है । नवाब ने सितंबर को धारा 16(1) के तहत अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त किया। 11, 1956. याचिकाकर्ता ने 1957 और 1959 में नवाब की कुछ संपत्तियाँ खरीदीं। याचिकाकर्ता को 1957 और 1959 में खरीदी गई संपत्तियों के लिए अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार नवाब का उत्तराधिकारी माना जाना चाहिए। और इस प्रकार उसे अधिनियम की धारा 16(2) के तहत उसकी बहाली की मांग करने का अधिकार होगा । विवाद निराधार है. प्रमाणपत्र के लिए धारा 16(1) के तहत आवेदन या तो किसी विस्थापित व्यक्ति द्वारा या विस्थापित व्यक्ति के उत्तराधिकारी द्वारा किया जा सकता है। एक व्यक्ति जिसने धारा 16(1) के तहत एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, वह नवाब से संपत्तियों की वापसी के लिए सक्षम है, यह समझा जाता है कि उस क्षमता में धारा 16(2) के तहत आवेदन दायर करने का उसका कोई अधिकार नहीं होगा।

8. अगला मुद्दा जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता, जो कि नवाब से कुछ संपत्तियों का प्रतिशोधी है, को धारा 16(1) के प्रयोजनों के लिए उसका उत्तराधिकारी माना जा सकता है । यह स्पष्ट है कि विक्रेता को किसी भी तरह से विक्रेता का उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता है। चेम्बर्स ट्वेंटिएथ सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार 'वारिस' शब्द का अर्थ है "वह जो वास्तव में अपने पिछले धारक की मृत्यु पर संपत्ति आदि का उत्तराधिकारी होता है"। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में परिभाषित 'उत्तराधिकारी' शब्द का अर्थ है "कोई भी व्यक्ति पुरुष या महिला जो इस अधिनियम के तहत एक निर्वसीयत की संपत्ति का उत्तराधिकारी होने का हकदार है"। याचिकाकर्ता नवाब की कुछ संपत्तियों का प्रतिशोधी होने के नाते उनका उत्तराधिकारी हो सकता है, लेकिन यह मानना मुश्किल है कि अधिनियम की धारा 16 (1) और (2) के प्रयोजन के लिए इसे उनका उत्तराधिकारी माना जाएगा। याचिकाकर्ता नवाब का उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 16(2) के तहत कथित तौर पर खरीदी गई संपत्तियों की बहाली का दावा नहीं कर सकता है। सहायक कस्टोडियन द्वारा क्रम पी.10 में और सहायक कस्टोडियन जनरल द्वारा क्रम पी. 11 में दर्ज किए गए समान निष्कर्ष पर याचिकाकर्ता द्वारा उचित रूप से हमला नहीं किया जा सकता है।

9. परिणामस्वरूप, रिट याचिका विफल हो जाती है और लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है।

याचिका खारिज.

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अमित
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूह, हरियाणा